



कार्यालय :- म0प्र0 राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित

सहकार भवन नार्थ टी0टी0 नगर, भोपाल

(दूरभाष 0755-4200675, 4232120 फ़ैक्स 0755-2779368)

(E-mail: awassangh@gmail.com web: [Http://www.mpawassangh.in](http://www.mpawassangh.in))

क्रमांक / आसंघ / तक. / 2019 / 300

भोपाल, दिनांक 18/12/2019.

संशोधन सूचना

म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ की वेबसाईट www.mpawassangh.in पर सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति, कोलार रोड, दामखेड़ा, भोपाल में बहुमंजिला भवनों के अंतर्गत कुल 350 प्रकोष्ठों के निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना क्रमांक/आसंघ/तक./2019/288 दिनांक 17.12.19 में संशोधन करते हुये संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/आसंघ/तक./2019/295 दिनांक 18.12.19 निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्रमांक/आसंघ/तक/2019/ 295

भोपाल, दिनांक 18.12.19

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति, कोलार रोड, दामखेड़ा, भोपाल में बहुमंजिला भवनों के अंतर्गत कुल 350 प्रकोष्ठों के निर्माण कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग केन्द्रीयकृत प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से म.प्र. लोक निर्माण विभाग सिविल एस.ओ.आर. 2014, इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर. अगस्त, 2014 तथा रोड एस.ओ.आर. 2017 पर आधारित (अमेंडमेन्ट सहित) ई-निविदा निम्नानुसार दिनांक 24.01.2020 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसका विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://www.mptenders.gov.in> एवं www.mpawassangh.in पर देखा जा सकता है।

कार्य का नाम	निर्माण स्थल का नाम	निर्माण लागत	धरोहर राशि	कार्य करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी	टेंडर फार्म की लागत
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति, कोलार रोड, दामखेड़ा, भोपाल में बहुमंजिला भवनों के अंतर्गत कुल 350 प्रकोष्ठों का निर्माण कार्य।	सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति, कोलार रोड, दामखेड़ा भोपाल	47,66,32,000	47,66,320	28 माह वर्षाकाल सहित	सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार	25,000

निविदा फार्म <http://www.mptenders.gov.in> वेबसाईट पर (Online System) क्रेडिट/डेबिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शायी गई वेबसाईट पर दिनांक 20.12.19 सायं 4.00 बजे से देखी जा सकती है। भविष्य में निविदा से संबंधित होने वाले संशोधन एवं शर्तें ऊपर दर्शित वेबसाईट पर देखे जा सकेंगे। शासन द्वारा अधिरोपित सभी प्रकार के करों का भुगतान नियमानुसार ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जावेगा, ई.पी.एफ. का पंजीयन अनिवार्य होगा। निविदा निरस्त करने का अधिकार बिना किसी सूचना के प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

18.12.19
प्रबंध संचालक